

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. 18256 / 22 / वि-12 / ग्रा.स.वि.प्रा. / जीएम-7 / 414 / 17,


भोपाल दि. : 31 / 07 / 2017

ADDENDUM No-08 [SSR w.e.f. 26.05.2014]

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा जारी एसएसआर (दिनांक 26.05.2014 से लागू) के अध्याय 5 में आयटम क्रमांक 5.19, 5.20 एवं 5.21 में सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार जोड़ा जा रहा है-

S.No.	Item	Unit	Rate (in Rs.)
5.19	Bituminous Macadam Providing and laying bituminous macadam with hot mix plant using crushed aggregates of grading as per Table 500.4 premixed with bituminous binder, transported to site upto a lead of 1000 m laid over a previously prepared surface with paver finisher to the required grade, level and alignment and rolled to achieve the desired compaction as per Technical Specification Clause 504. By adding organosilane addisive such as Zycotherm additive to bitumen binder or any equivalent material @ 0.01% of bitumen.	cum	7113
5.20	(A) 20mm thick Open-Graded Premix Carpet using Bituminous (penetration grade/modified bitumen) Binder Providing, laying and rolling of open-graded premix carpet of 20 mm thickness composed of 13.2 mm size @ 0.18 cum per 10 sqm & 11.2 mm size @ 0.09 cum per 10 sqm aggregates using penetration grade/modified bitumen @ 14.6 kg/10sqm to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant, laying and rolling with a three wheel 80-100 kN static roller capacity, finished to required level and grades to be followed by seal coat of either Type A , Type B or Type C as per Technical Specification Clause 508. By adding organosilane addisive such as Zycotherm additive to bitumen binder or any equivalent material @ 0.01% of bitumen.	sqm	145
5.21	Seal Coat Providing and laying seal coat sealing the voids in a bituminous surface laid to the specified levels, grade and cross fall using Type B as per Technical Specification Clause 510. By adding organosilane addisive such as Zycotherm additive to bitumen binder or any equivalent material @ 0.01% of bitumen.	sqm	55

उपरोक्तानुसार आयटम एसएसआर (दिनांक 26.05.2014 से लागू) के अध्याय 5 में अतिरिक्त आयटम के रूप में जोड़ा गया है।



(एम. के. गुप्ता)
प्रमुख अभियंता
म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. 18257 / 22 / वि-12 / ग्रा.स.वि.प्रा. / जीएम-7 / 414 / 17.

भोपाल दि. : 31 / 07 / 2017

प्रतिलिपि -

1. निर्देशक (तक), एनआरआरडीए, पंचम तल, एनबीसीसी टॉवर, भीकाजी कॉमा प्लेस, नई दिल्ली
2. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
4. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
5. STA, MANIT Bhopal, Govt. Engg. College Jabalpur, GSITS Indore & MITS Gwalior को सूचनार्थ ।
6. महाप्रबंधक-तक. (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
7. महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू को सूचनार्थ तथा निर्देशित किया जाता है कि Addendum लागू होने के पश्चात् कार्य स्थल पर Addendum में किये गये प्रावधान का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रबंधक आईटी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि संशोधित पत्र को www.mprrda.com वेबसाइट पर अपलोड करें।


प्रमुख अभियंता 31/7
म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र.18258/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./जीएम-7/414/17,

भोपाल दि. : 31/07/2017

ADDENDUM No-09 [SSR w.e.f. 26.05.2014]

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा जारी एसएसआर (दिनांक 26.05.2014 से लागू) के अध्याय 10 में आयटम क्रमांक 10.17 में सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार जोड़ा जा रहा है-

S.No.	Item	Unit	Rate (in Rs.)
10.17	Speed Breaker Providing and laying rounded hump type of Speed Breaker confirming to IRC - 99 and as per guidelines and drawings of NRRDA circular no. DO No. P-17019/6/2006/PII Dated 16 Sept 2009, including providing, laying and compaction of GSB, G II, G III, BM, OGPC, Seal Coat Type B, as per specifications and appended drawing on both the sides of carriage way up to formation width maintaining rounded hump type shape with bituminous macadam material i/c providing and painting of black and white strips, providing and fixing of two no. 600mm equilateral semi reflecting sign boards, i/c cost of all materials, labour T & P & Machinery etc complete and as directed by engineer in charge as per relevant clauses of MORD specifications.		
	For 9.0 Mt Formation Width (carriageway width 5.5 m)	No.	32559

उपरोक्तानुसार आयटम एसएसआर (दिनांक 26.05.2014 से लागू) के अध्याय 10 में अतिरिक्त आयटम के रूप में जोड़ा गया है।

(एम. के. गुप्ता) 31/7/17
प्रमुख अभियंता

म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. 18259 /22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./जीएम-7/414/17,

भोपाल दि. : 31/07/2017

प्रतिलिपि -

1. निर्देशक (तक), एनआरआरडीए, पंचम तल, एनबीसीसी टॉवर, भीकाजी कॉमा प्लेस, नई दिल्ली
2. मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
3. मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
4. वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
5. STA, MANIT Bhopal, Govt. Engg. College Jabalpur, GSITS Indore & MITS Gwalior को सूचनार्थ ।
6. महाप्रबंधक-तक. (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
7. महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू को सूचनार्थ तथा निर्देशित किया जाता है कि Addendum लागू होने के पश्चात् कार्य स्थल पर Addendum में किये गये प्रावधान का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
8. प्रबंधक आईटी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि संशोधित पत्र को www.mprrda.com वेबसाइट पर अपलोड करें।

प्रमुख अभियंता

म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. : 18260/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./जीएम-7/414/17,

भोपाल दि. : 31/07/2017

ADDENDUM No-10 [SSR w.e.f. 26.05.2014]

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा जारी एसएसआर (दिनांक 26.05.2014 से लागू) के अध्याय 6 में आयटम क्रमांक 6.11 में सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार जोड़ा जा रहा है-

S.No.	Item	Unit	Rate (in Rs.)
6.11	Cement Concrete Pavement (CC M-30 without dowel bars & without joints) Construction of un-reinforced, plain cement concrete pavement, thickness as per design, over a prepared sub base, with 43 grade cement or any other type as per Clause 1501.2.2 M30 (Grade), coarse and fine aggregates conforming to IS:383, maximum size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, mixed in a concrete mixer of not less than 0.2 cum capacity and appropriate weigh batcher using approved mix design, laid in approved fixed side formwork (steel channel, laying and fixing of 125 micron thick polythene film, wedges, steel plates including levelling the formwork as per drawing), spreading the concrete with shovels, rakes, compacted using needle, screed and plate vibrators and finished in continuous operation. Including admixtures as approved, curing of concrete slabs for 14-days.	cum	5314

उपरोक्तानुसार आयटम एसएसआर (दिनांक 26.05.2014 से लागू) के अध्याय 6 में अतिरिक्त आयटम के रूप में जोड़ा गया है।

(म.प्र. के. गुप्ता) 31/7

प्रमुख अभियंता

म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल दि. : 31/07/2017

पृ.क्र. 18261/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./जीएम-7/414/17,

प्रतिलिपि -

- निर्देशक (तक), एनआरआरडीए, पंचम तल, एनबीसीसी टॉवर, भीकाजी कॉमा प्लेस, नई दिल्ली
- मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
- मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
- वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
- STA, MANIT Bhopal, Govt. Engg. College Jabalpur, GSITS Indore & MITS Gwalior को सूचनार्थ ।
- महाप्रबंधक-तक. (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
- महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू को सूचनार्थ तथा निर्देशित किया जाता है कि Addendum लागू होने के पश्चात् कार्य स्थल पर Addendum में किये गये प्रावधान का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रबंधक आईटी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि संशोधित पत्र को www.mprrda.com वेबसाइट पर अपलोड करें।

प्रमुख अभियंता 31/7

म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

(म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत संस्था : पंजीयन क्रमांक 8746/2000)

खण्ड-2, पंचम तल, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्र. : 18262/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./जीएम-7/414/17,

भोपाल दि. : 31/07/2017

ADDENDUM No-11 [SSR w.e.f. 26.05.2014]

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल द्वारा जारी एसएसआर (दिनांक 26.05.2014 से लागू) के अध्याय 6 में आयटम क्रमांक 6.12 में सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार जोड़ा जा रहा है-

S.No.	Item	Unit	Rate (in Rs.)
6.12	Construction of Joints in Cement Concrete Slab Cutting of joint in Cement Concrete slab (panelled slab) by joint cutting machine upto 1/3 depth of concrete slab as per MORD 2014 Clause no. 1501.8.1. (Unsealed Joint)		
i)	For 20 cm thick CC Slab (Running Meter of Joint)	R. M. of Joint	19.00
ii)	For 15 cm thick CC Slab (Running Meter of Joint)	R. M. of Joint	14.00
iii)	For 12.50 cm thick CC Slab (Running Meter of Joint)	R. M. of Joint	12.00

उपरोक्तानुसार आयटम एसएसआर (दिनांक 26.05.2014 से लागू) के अध्याय 6 में अतिरिक्त आयटम के रूप में जोड़ा गया है।

(एम. के. गुप्ता)

प्रमुख अभियंता

म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)

पृ.क्र. 18263/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./जीएम-7/414/17,

भोपाल दि. : 31/07/2017

प्रतिलिपि -

- निर्देशक (तक), एनआरआरडीए, पंचम तल, एनबीसीसी टॉवर, भीकाजी कॉमा प्लेस, नई दिल्ली
- मुख्य महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
- मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
- वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल ।
- STA, MANIT Bhopal, Govt. Engg. College Jabalpur, GSITS Indore & MITS Gwalior को सूचनार्थ ।
- महाप्रबंधक-तक. (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ।
- महाप्रबंधक (समस्त), म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पीआईयू को सूचनार्थ तथा निर्देशित किया जाता है कि Addendum लागू होने के पश्चात् कार्य स्थल पर Addendum में किये गये प्रावधान का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रबंधक आईटी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण मुख्यालय भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि संशोधित पत्र को www.mprda.com वेबसाइट पर अपलोड करें।

प्रमुख अभियंता

म.प्र.ग्रा.स.वि. प्राधिकरण, भोपाल (म.प्र.)